

# कार्यालय नगर निगम कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक : ननिको-द0/निर्माण/2022/55-69

दिनांक : 22/10/2021

ई-निविदा सूचना संख्या.: 05/2022-23


नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों के "A" व "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा की वेबसाइट [urban.rajasthan.gov.in/nnks](http://urban.rajasthan.gov.in/nnks), <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> से प्राप्त कर सकेंगे।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से) : 26.04.2022 से 05.05.2022 तक
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 26.04.2022 से 05.05.2022 तक
- निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि : 06.05.2022 (सांय 05:00 बजे तक)
- निविदा/तकनीकी विड खोलने की तिथि : 06.05.2022 (सांय 06:00 बजे)
- वित्तीय विड खोलने की तिथि : तकनीकी विड परीक्षण के पश्चात्

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु.लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			0.50%	2.0%			
1	नगर निगम कोटा दक्षिण में विभिन्न स्थानों पर इन्द्रा रसोई विस्तार का निर्माण कार्य।	40.90	20450	81800	1000	500	2 माह


- 1 निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक/फर्मों द्वारा जमा की जाने वाली टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि के डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा-दक्षिण के नाम एवं प्रोसेसिंग फीस (MD RISL) जयपुर के नाम देय होगी। उक्त निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि नगर निगम कोटा की वेबसाइट [urban.rajasthan.gov.in/nnks](http://urban.rajasthan.gov.in/nnks), पर ऑन लाईन भी जमा करायी जा सकेगी।
- 2 कार्य के विलम्ब की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर अनुबन्ध में निहित अधिकतम दर तक शास्ती लगाई जा सकेगी।
- 3 संवेदक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति कार्य स्थल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड स्वयं के खर्च पर लगाना होगा।
- 4 संवेदक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, संबंधित वार्ड पार्षद/जन प्रतिनिधि को सूचित करेगा एवं उनके सामने गुणवत्ता रिपोर्ट हेतु सेम्पल लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5 न्यूनतम मजदूरी एक्ट एवं श्रम कानूनो की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6 निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पंजीयन करना तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. करा कर संबंधित विभाग (ई.पी.एफ.ओ.) से अदेयता प्रमाण पत्र कार्य के अन्तिम बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 7 कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबन्ध की शर्त संख्या 37 के अनुसार होगी।
- 8 तृतीय पक्षकार टेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक बिल के साथ अधिशाषी/सहायक अभियन्ता से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करनी होगी।
- 9 संवेदक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि पी.एफ. और ई.एस.आई. विभाग के किसी प्रकार के दायित्व सृजित होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 10 वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 Additional Performance Security के लिये नियम 75 ए जोड़ा गया है। Work Performance Gurrantee के रूप में कार्य आदेश जारी करने से पूर्व ली जावेगी तथा इसे कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण दोष निवारण अवधि के उपरान्त कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर ही संवेदक को रिफन्ड की जावेगी।
- 11 तकनीकी विड खोलने की तिथि पर किसी भी कारण वश अवकाश होने पर आगाभी कार्य दिवस पर प्राप्त व खोली जावेगी।
- 12 संवेदक निविदा से संबंधित निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. इत्यादि फर्म के नाम से बनवाये।
- 13 निविदा में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/धरोहर राशि के डी.डी./ऑन लाईन जमा रसीद की प्रति अनिवार्य रूप से नगर निगम कोटा-दक्षिण कोष में जमा करना होगा जो कि वापस नहीं किये जायेंगे।
- 14 सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अधीन होगी।
- 15 संवेदक को नियोजित श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पंजीयन करना तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. करा कर संबंधित विभाग (ई.पी.एफ.ओ.) से अदेयता प्रमाण पत्र कार्य के अन्तिम बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- 16 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.01(24)नविधि/1/2020 लूज जयपुर दिनांक 20.09.2021 अनुसार विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदको द्वारा बी.एस.आर. दर से कम डालने पर अन्तर राशि (A1 PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा करानी होगी।
- 17 अनुबन्ध करने में असमर्थ रहने अथवा कार्य करने में असमर्थ रहने पर नियमों के अन्तर्गत आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर नगर निगम को कार्य करने का/जमा योग्य अर्नेस्ट मनी की शारती लगाने की कार्यवाही करने का नगर निगम को अधिकार सुरक्षित रहेगा।

  
 आयुक्त  
 नगर निगम कोटा-दक्षिण  
 दिनांक : 22/4/22

क्रमांक :- ननिको-द0/निर्माण/2022/55-69  
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

- 1 श्रीमान महापीर, महोदय नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 2 श्रीमान उपमहापीर, महोदय नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 3 श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 4 श्रीमान अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 5 श्रीमान उपायुक्त महोदय (जोन प्रथम एवं द्वितीय) नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 6 अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 7 मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
- 8 सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
- 9 अधिशापी अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), नगर निगम कोटा दक्षिण
- 10 समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम कोटा-दक्षिण।
11. सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/उद्यान/विद्युत/नल) नगर निगम कोटा-दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक से पूर्व तखमीना तैयार करवाकर वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 12 पुस्तकालय अध्यक्ष नगर निगम कोटा-दक्षिण को बास्ते जिला/राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में संक्षिप्त स्थान पर प्रकाशन हेतु।
- 13 निजी सहायक (अधि.अभि. I/II/प्रभारी, हेल्पलाईन/स्मार्टराज प्रोजेक्ट आईटी/ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग/कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नगर निगम-कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
- 14 ई-गवर्नेन्स, नगर निगम कोटा-दक्षिण।
- 15 सुरक्षित पत्रावली, नगर निगम कोटा-दक्षिण।

  
 आयुक्त  
 नगर निगम कोटा-दक्षिण